/

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश

आदेश सं0-05/स्था0 (आ0)-09/2010...1893/ पटना, दिनांक 22/05/2014

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा की गयी छापामारी में आय से अधिक चल-अचल संपति की जानकारी मिलने के उपरांत श्री कपिलमुनी राय, सेवानिवृत प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार पटना के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43(ख) में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश ज्ञापांक 1308 दिनांक 28.02.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लेते हुए विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार पटना को विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था ।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.2014 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि राय द्वारा दिनांक 21.03.2014 को अपना लिखित बयान समर्पित किया गया जिसमें उन्होनें बताया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा दर्ज प्राथमिकी में प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप साक्ष्यों एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है एवं वे निर्दोष है ।

3. श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों पर संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन निम्नरूपेण प्रस्तुत किया गया -

(i) <u>आय से अधिक प्रत्यानुपातिक धनार्जन में संलिप्तता-</u>

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार, पटना द्वारा श्री कपिलमुनी राय के निवास स्थान पर की गयी छापेमारी में 1.02 करोड़ की चल अचल संपति होने का प्रमाण मिला, जिसके आधार पर उनके विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-13(2) सह- पठित धारा-13 (1) (ई) के अंतर्गत निगरानी थाना कांड सं0 -85/2009 दर्ज किया गया ।

(ii) <u>व्यक्तिगत लाभ के लिए पदीय शक्ति का दुरूपयोग तथा भ्रष्ट आचरणः-</u>

श्री राय द्वारा सरकारी कर्मचारी (लोक सेवक) रहने के दौरान अपने पदीय शक्ति का दुरूपयोग कर अपने सेवाकाल में भ्रष्ट तरीके से अकूत संपति का अर्जन किया गया । श्री राय द्वारा सेवाकाल में उक्त सम्पति का ब्यौरा विभाग को समर्पित नहीं करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 19(6) के अन्तर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है ।

(iii) श्री राय का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, <u>1976 के नियम 3(i), (ii) एवं (iii)</u> के प्रावधानों के प्रतिकूल है ।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री राय से विभागीय पत्रांक 2606 दिनांक 30.04.2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 15.04.2014 तक समर्पित करने के लिए कहा गया ।

5. श्री राय द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा में अपने पक्ष में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6. निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, बिहार पटना के द्वारा श्री राय के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री राय के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोप प्रमाणित होते हैं ।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में श्री कपिलमुनी राय, सेवानिवृत प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होने के कारण बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें स्वीकृत औपबंधिक पेंशन के आदेश को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है । श्री राय को आदेश निर्गत की तिथि से उनके देय पेंशन पर सम्पूर्ण रोक लगाई जाती है एवं उन्हें देय उपदान (ग्रेच्यूटी) की राशि के भुगतान पर भी रोक लगाई जाती है ।

22/5/14
प्रधान सचिव
-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2893 पटना, दिनांक 22/05/2014

प्रतिलिपिः- श्री कपिलमुनी राय, सेवानिवृत प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/5/14
प्रधान सचिव
-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2893 पटना, दिनांक 22/05/2014

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/ पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/ स्थापना शाखा/ लेखा शाखा/ रक्षित पंजी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/5/14
प्रधान सचिव
-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2893 पटना, दिनांक 22/05/2014

प्रतिलिपिः- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, / माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/5/14
प्रधान सचिव
-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।